

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 187]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 22 अप्रैल 2016—वैशाख 2, शक 1938

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 22 अप्रैल 2016

क्र. 6146-126-इक्कीस-अ-(प्रा.)-अधि.—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 21 अप्रैल, 2016 को राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक १६ सन् २०१६

मध्यप्रदेश विधान सभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष एवं नेता प्रतिपक्ष वेतन तथा भत्ता विधि (संशोधन) अधिनियम, २०१६

विषय-सूची.

धाराएं :

१. संक्षिप्त नाम.

भाग—एक

मध्यप्रदेश विधान सभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, १९७२
(क्रमांक २७ सन् १९७२) का संशोधन.

२. धारा २ का स्थापन.

३. धारा ३ का स्थापन.

भाग—दो

मध्यप्रदेश विधान सभा नेता प्रतिपक्ष (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, १९८०
(क्रमांक ८ सन् १९८०) का संशोधन.

४. धारा ३ का संशोधन.

५. धारा ४ का संशोधन.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक १६ सन् २०१६

मध्यप्रदेश विधान सभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष एवं नेता प्रतिपक्ष वेतन तथा भत्ता विधि (संशोधन) अधिनियम, २०१६

[दिनांक २१ अप्रैल, २०१६ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक २२ अप्रैल, २०१६ को प्रथमबार प्रकाशित की गईं.]

मध्यप्रदेश विधान सभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, १९७२ एवं मध्यप्रदेश विधान सभा नेता प्रतिपक्ष (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, १९८० को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम.

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश विधान सभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष एवं नेता प्रतिपक्ष वेतन तथा भत्ता विधि (संशोधन) अधिनियम, २०१६ है.

भाग—एक

मध्यप्रदेश विधान सभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, १९७२
(क्रमांक २७ सन् १९७२) का संशोधन.

धारा २ का स्थापन.

२. मध्यप्रदेश विधान सभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, १९७२ (क्रमांक २७ सन् १९७२) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा २ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के वेतन.

“२. अध्यक्ष को सैंतालीस हजार रुपये तथा उपाध्यक्ष को पैंतालीस हजार रुपये प्रतिमास वेतन दिया जाएगा.

धारा ३ का स्थापन.

३. मूल अधिनियम की धारा ३ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को सत्कार भत्ता, निर्वाचन-क्षेत्र भत्ता तथा दैनिक भत्ता.

“३. (१) अध्यक्ष को अड़तालीस हजार रुपए प्रतिमास सत्कार भत्ता तथा उपाध्यक्ष को पैंतालीस हजार रुपए प्रतिमास सत्कार भत्ता दिया जाएगा.

(२) अध्यक्ष को पैंतालीस हजार रुपये प्रतिमास निर्वाचन-क्षेत्र भत्ता तथा उपाध्यक्ष को पैंतीस हजार रुपये प्रतिमास निर्वाचन-क्षेत्र भत्ता दिया जाएगा.

(३) अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को एक हजार पांच सौ रुपये प्रतिदिन के हिसाब से दैनिक भत्ता दिया जाएगा.”

भाग—दो

मध्यप्रदेश विधान सभा नेता प्रतिपक्ष (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, १९८०
(क्रमांक ८ सन् १९८०) का संशोधन.

धारा ३ का संशोधन.

४. मध्यप्रदेश विधान सभा नेता प्रतिपक्ष (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, १९८० (क्रमांक ८ सन् १९८०) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा ३ में, शब्द “सत्ताईस हजार” के स्थान पर, शब्द “पैंतालीस हजार” स्थापित किए जाएं.

५. मूल अधिनियम की धारा ४ में,—

धारा ४ का संशोधन.

- (एक) उपधारा (१) में, शब्द “तीस हजार” के स्थान पर, शब्द “पैंतालीस हजार” स्थापित किए जाएं;
- (दो) उपधारा (२) में, शब्द “सत्ताईस हजार” के स्थान पर, शब्द “पैंतीस हजार” स्थापित किए जाएं;
- (तीन) उपधारा (३) में, शब्द “एक हजार दो सौ” के स्थान पर, शब्द “एक हजार पांच सौ” स्थापित किए जाएं.

भोपाल, दिनांक 22 अप्रैल 2016

क्र. 6146-126-इक्कीस-अ-(प्रा.)-अधि.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश विधान सभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष एवं नेता प्रतिपक्ष वेतन तथा भत्ता विधि (संशोधन) अधिनियम, 2016 (क्रमांक 16 सन् 2016) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.

MADHYA PRADESH ACT
No. 16 OF 2016

**THE MADHYA PRADESH VIDHAN SABHA ADHYAKSHA TATHA UPADHYAKSHA EVAM
NETA PRATIPAKSHA VETAN TATHA BHATTA VIDHI (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2016.**

TABLE OF CONTENTS

Sections :

1. Short title.

PART I

**AMENDMENT TO THE MADHYA PRADESH VIDHAN SABHA ADHYAKSHA TATHA
UPADHYAKSHA (VETAN TATHA BHATTA) ADHINIYAM, 1972 (NO. 27 OF 1972)**

2. Substitution of Section 2
3. Substitution of Section 3.

PART II

**AMENDMENT TO THE MADHYA PRADESH VIDHAN SABHA NETA PRATIPAKSHA
(VETAN TATHA BHATTA) ADHINIYAM, 1980 (NO. 8 OF 1980)**

4. Amendment of Section 3.
5. Amendment of Section 4.

MADHYA PRADESH ACT

No. 16 OF 2016

**THE MADHYA PRADESH VIDHAN SABHA ADHYAKSHA TATHA UPADHYAKSHA
EVAM NETA PRATIPAKSHA VETAN TATHA BHATTA VIDHI (SANSHODHAN)
ADHINIYAM, 2016.**

[Received the assent of the Governor on the 21st April, 2016; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 22nd April, 2016].

**An Act further to amend the Madhya Pradesh Vidhan Sabha Adhyaksha Tatha Upadhyaksha
(Vetan Tatha Bhatta) Adhiniyam, 1972 and the Madhya Pradesh Vidhan Sabha Neta
Pratipaksha (Vetan Tatha Bhatta) Adhiniyam, 1980.**

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the sixty-seventh year of the Republic of India as follows:—

Short title.

1. This Act may be called the Madhya Pradesh Vidhan Sabha Adhyaksha Tatha Upadhyaksha Evam Neta Pratipaksha Vetan Tatha Bhatta Vidhi (Sanshodhan) Adhiniyam, 2016.

PART I

**AMENDMENT TO THE MADHYA PRADESH VIDHAN SABHA ADHYAKSHA TATHA
UPADHYAKSHA (VETAN TATHA BHATTA) ADHINIYAM, 1972 (NO. 27 OF 1972)**

Substitution of Section 2.

2. For Section 2 of the Madhya Pradesh Vidhan Sabha Adhyaksha Tatha Upadhyaksha (Vetan Tatha Bhatta) Adhiniyam, 1972 (No. 27 of 1972) (hereinafter referred to as the principal Act), the following Section shall be substituted, namely:—

Salary of Speaker and Deputy Speaker.

"2. There shall be paid a salary per mensem of rupees forty seven thousand to the Speaker and rupees forty five thousand to the Deputy Speaker."

Substitution of Section 3.

3. For Section 3 of the principal Act, the following Section shall be substituted, namely:—

Sumptuary allowance, constituency allowance and daily allowance to Speaker and Deputy Speaker.

- "3. (1) There shall be paid to the Speaker a sumptuary allowance of forty eight thousand rupees per mensem and to the Deputy Speaker a sumptuary allowance of forty five thousand rupees per mensem.
- (2) There shall be paid to the Speaker a constituency allowance of forty five thousand rupees per mensem and to the Deputy Speaker a constituency allowance of thirty five thousand rupees per mensem.
- (3) There shall be paid to the Speaker and the Deputy Speaker a daily allowance of one thousand five hundred rupees per day."

PART II

**AMENDMENT TO THE MADHYA PRADESH VIDHAN SABHA NETA PRATIPAKSHA
(VETAN TATHA BHATTA) ADHINIYAM, 1980 (NO. 8 OF 1980)**

Amendment of Section 3.

4. In Section 3 of the Madhya Pradesh Vidhan Sabha Neta Pratipaksha (Vetan Tatha Bhatta) Adhiniyam, 1980 (No. 8 of 1980) (hereinafter referred to as the principal Act), for the words "twenty seven thousand", the words "forty five thousand" shall be substituted.

Amendment of Section 4.

5. In Section 4 of the principal Act,—

- (i) in sub-section (1), for the words "thirty thousand", the words, "forty five thousand" shall be substituted;

-
- (ii) in sub-section (2), for the words "twenty seven thousand", the words "thirty five thousand" shall be substituted;
- (iii) in sub-section (3), for the words "one thousand two hundred", the words "one thousand five hundred" shall be substituted.